प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) मूल्य0आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.37 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023" (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2028", (iii) मूल्यभ आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2035", और (iv) मूल्यर आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "8.13 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2045" की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 12,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार, उपर्युक्ती एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येरक में1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 7 सितम्ब इ 2018 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

- 2. स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यगक्तियोंऔर संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
- 3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई(कुबेर- प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **7 सितम्बरर 2018** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा **7 सितम्बनः 2018 (शुक्रवार)** को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **10 सितम्बरः 2018 (सोमवार)** को किया जाएगा।
- 5. ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के सं0 आरबीआई/2006-07/178, तहत जारी "केन्द्रा सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन देन" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 31 अगस्त, 2018